Mandatory Public Disclosure

A. GENERAL INFORMATION

SL NO.	INFORMATION	DETAILS
1	NAME OF THE SCHOOL	ST. FRANCIS' CONVENT SCHOOL
2	AFFILIATION NO(IF APPLICABLE)	2130250
3	SCHOOL CODE (IF APPLICABLE)	60114
4	COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE	GHATIA AZAM KHAN, WAZIRPURA, AGRA 282003
5	PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION	SR.ABHA (MEREENA PULLOKARAN DAVIS)(M.A,B.ED)
6	SCHOOL EMAIL ID	St.francis@dataone.in
7	CONTACT DETAILS(LANDLINE/MOBILE)	8791077004, 0562-2857530

B. DOCUMENTS AND INFORMATION

SL NO.	DOCUMENTS/INFORMATION	UPLOAD DOCUMENTS
1	COPIES OF AFFLIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY	YES
2	COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE AS APPLICABLE	YES
3	COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED IF APPLICABLE BY THE STATE GOVT	YES
4	COPIESOF RECOGNITION CERTIFICATE AS PER THE BUILDING CODE	YES
<u>5</u>	COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE	YES
<u>6</u>	COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY	YES
7	COPY OF THE DEO CERTICICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATIONOR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL	
8	COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES	YES

NOTE: THE SCHOOL NEEDS TO UPLOAD THE SELF ATTESTED COPIES OF ABOVE LISTED DOCUMENTS BY CHAIRMAN/MANAGER/SECRETARY AND PRINCIPAL IN CASE IT IS NOTICEDAT LATER STAGE THAT UPLOADED DOCUMENT ARE NOT GENUINE THEN SCHOOL SHALL BE LIABLE FOR ACTION AS PER NORMS

S.NO.	DOCUMENTS/INFORMATION	UPLOAD DOCUMENTS
1	FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL	YES
2	ANNUAL ACADEMIC CALANDER	YES
3	LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC)	
4	LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA MEMBERS)	
5	LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABLILTY	YES

C. RESULT AND ACADEMICS

RESULT CLASS: X

S.NO.	YEAR	NO.OF REGISTERED STUDENTS	NO.OF STUDENTS PASSED	PASS PERCENTAGE	REMARKS
1	2018	163	161	98.77	2 COMPARTMENT
2	2019	157	157	100	, X
3	2020	161	160	99.38	1 COMPARTMENT

D STAFF(TEACHING)

s.no.	INFORMATION	DETAILS		
1	PRINCIPAL	01		
2	TOTAL NO. OF TEACHERS			
×	PGT			
	TGT	28		
*	PRT	21		
3	TEACHERS SECTION RATIO			

6	DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR	NO
	DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER	MRS.SHIKHA MASIH
		DIPLOMA IN NURSHING

E SCHOOL INFRASTRUCTURE

S.NO.	INFORMATION	DETAILS
1	TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL(IN SQURE MTR)	DETAILS 8892 Sq MTR
2	NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS(IN SQ MTR)	38, (154962 Sq Mt)
3	NO AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS(IN SQMTR)	7 (288.07 Sq Mt)
4	INTERNET FCILITY (Y/N)	YES
5	NO. OF GIRLS TOILETS	10
6	NO. OF BOYS TOILETS	19
7	LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL	16

MEMBERS OF MANAGING COMMITTEE 2021 -2022

s.no.	Names	Father's / Spouse name	Designation	Occupation with address	Residential Address	Phone off	Phone residence
1	SR. JOYCE	MR. GEORGE	CHAIR PERSON	PROVINCIAL SUPERIOR, CLARA NIWAS , KALU SARAI, NEW DELHI-16	CLARA NIWAS, KALU SARAI, NEW DELHI - 16	01126517325	
2.	SR. GEMMA	Mr. Easthapan	MANAGER		ST. FRANCIS' CONVENT , GHATIA AZAM KHAN, AGRA	0562-	0562-2525591
3	SR. MATILDA	MR. GEORGE	VICE CHAIR PERSON	PRINCIPAL ST. ANTHONY'S SR. SEC. SCHOOL, HAUZKHAS, DELHI - 16	ST. ANTHONY'S CONVENT, HAUZKHAS, DELHI - 16	01126514779	01126514779
4	SR. ABHA	MR. P. A. Davis	SECRETÁRY	PRINCIPAL, ST. FRANCIS' CONVENT SCHOOL, GHATIA AZAM KHAN, WAZIRPURA, AGRA	ST. FRANCIS' CONVENT , GHATIA AZAM KHAN, WAZIRPURA, AGRA	8791077004	0562-2850822
5	SR. SHELIA	MR. MANUVEL	TREASURER	ACCOUNTANT, ST. FRANCIS' CONVENT SCHOOL, GHATIA AZAM KHAN, WAZIRPURA, AGRA	ST. FRANCIS' CONVENT , GHATIA AZAM KHAN, WAZIRPURA, AGRA	8791077004	0562-2850822
6	SR. ANTONIA LAKARA	MR. POLYCORP LAKRA	MEMBER	PRINCIPAL, ST. VINCENT'S GIRLS SCHOOL, AGRA	ST. FRANCIS' CONVENT, GHATIA AZAM KHAN, WAZIRPURA, AGRA	0562-2852862	0562-2850822
7	SR. AMBIKA	Mr. Isacc	MEMBER	COUNSELLOR, ST. FRANCIS' CONVENT SCHOOL, SIKANDRA	ST. FRANCIS CONVENT, UPSIDC ROAD, SIKANDRA, AGRA	0562-6444409	0562-6444409
3	Mr. Sudhakaran P.V	Mr. A.C. Govindam Nambair	BOARD NOMINEE	PRINCIPAL, K.V. NO. II, AKBAR ROAD, AGRA CANTT.	9745565469	0562-2227328	

9	Ms. Ambika Roshan	MR. Roshan	BOARD NOMINEE	PRINCIPAL, AIR FORCE SCHOOL, AIR FORCE STATION, AGRA	9760493683	0562-2302173	2303860
10	MRS. ASHA JAIN	Mr. C. M. Jain	TEACHER REPRESENTATIVE	TEACHER, ST. FRANCIS' CONVENT SCHOOL, GHATIA AZAM KHAN, WAZIRPURA, AGRA	DREW KOTHI, ST. JOHN'S COLLEGE CAMPUS , HARI PARVAT, AGRA	0562-6547004	9319264442
11	MRS. RAHILA ALI	Mr. Syed Azam Ali	TEACHER REPRESENTATIVE	TEACHER, ST. FRANCIS' CONVENT SCHOOL, GHATIA AZAM KHAN, WAZIRPURA, AGRA	3/104 , Chowk Kazian,Taj Ganj, Near Taj Mahal,Agra	0562-6547004	8979583804
12	FR. SAJI PALAMATTOM	MR. ANTONY PALAMATTOM	MEMBER	PRINCIPAL ST. PAUL'S HIGH SCHOOL, AGRA	ST. PETER'S , AGRA	W-11	9837004452
13	SR. ZITA CUTINHA	MR. CYRIL CUTINHA	EDUCATIONIST	PRINCIPAL, ST. FRANCIS' CONVENT SCHOOL, SIKANDRA	ST. FRANCIS' CONVENT, UPSIDC ROAD, SIKANDRA, AGRA	0562-6444409	0562-644409
14	MRS. KIRTI PANDEY	S.K. PATHAK	PARENTS REPRESENTATIVE	6D/818, AVAS VIKAS COLONY, AGRA	6D/818, AVAS VIKAS COLONY, AGRA	9639811978	9
15	MR. SUNIL MASIH	MR. PREM MASIH	PARENTS REPRESENTATIVE	LAB TECHNICIAN, C-207, TRANS YAMUNA COLONY, FIROZABAD ROAD, AGRA	A-6/372, KAMLA NAGAR, AGRA	9412542811	8650944123



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड Central Board of Secondary Education संबंधता - Online School Affiliation & Monitoring System R-2.0



As per new Affiliation Bye-Laws

Conto I U

Grant Letter for -: EX-01765-1819

NO: CBSE/AFF/2130250 /EX-01765-1819/2018-19/

Dated: 05/10/2020

The Manager, st. francis convent school wazirpura road agra uttar pradesh UTTAR PRADESH,AGRA, 282003 (M: 2857530, 2525591,357530)

Sub: Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level - regarding

Ref: Application No. EX-01765-1819

With reference to your application on the subject cited above; I am directed to convey the approval for Extension of General Affiliation as per details given below:-

Affiliation No:

2130250

Affiliated for :

Secondary

Category:

Extension of General Affiliation

Period of Extension of :

01.04.2018 to 31.03.2023

In view of current COVID-19 pandemic which has most severely affected the normal functioning of schools in the country, however, the school is pursuing to provide extension of affiliation so as to avoid any difficulty for the purpose of admission /registration/ obtaining loan/renewal of various safety certificates from appropriate state authorities.

Therefore, the competent authority of the Board after due consideration has accorded approval for extension of Affiliation based on details/data submitted by school in online application for a further period of 5 years subject to fulfilment of following conditions:

- The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time.
- The School is required to apply on online for further extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws, 2018.
- The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned as mentioned in certificate as per appendix III issued by District Education Officer (DEO) /equivalent officer
- 4. The school should ensure the strong governance and management of its activities in way of comprehensive and quantifiable planning in way of curriculum planning, infrastructure, resources, physical education, staff development and other co-curricular areas.

This site is Designed and Developed by IT & Project Department CBSE.

purpose and also advised to visit CBSE websites i.e. http://cbseacademic.nic.in/ & http://cbse.nic.in/ for updates. The School is expected to see all circulars on these CBSE websites regularly.

The school will strictly adhere to all rules regarding safety of students including Fire fighting and Transportation, etc. Further, school will provide adequate facilities for potable drinking water and clean healthy and hygienic toilets with washing facilities for boys and girls separately in proportion to the number of students. The school will ensure that Fire, Building, health and sanitation and safe drinking water certificates are renewed from time to time, as per norms.

- 7. Admission to the school is to be restricted as per relevant rules of Examination Bye-laws and rule 2.4.5, 2.6.5, 7.1, 7.2, 8.4.2, 8.4.10 & other relevant rules of Affiliation bye laws.
- The school is required to follow rule No.2.4.7 and 2.4.8 of Affiliation Bye Laws regarding Books and Quality of Education.
- The number of sections may be restricted as per the Appendix V of the Affiliation Bye-Laws of the Board. For increase in number of sections, the School shall apply online to the Board as per rule 15.7 of Affiliation Bye laws.
- The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity related to running of school affiliated to CBSE. The school shall also be liable to bear all legal charges incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances.
- The school must strive to promote conservation of environment on their campus through rain water harvesting, segregation of waste at source, recycling of organic waste, proper disposal of waste including electronic waste, use of energy saving and energy efficient electrical equipment, greening of campus, use of solar energy, education and awareness amongst children on environment conservation and cleanliness etc
- The school shall submit their information through Online Affiliated School Information System (OASIS) as per details given in circular no. affiliation-06/2018 dated 24.04.2018. Link for OASIS is available on Board's website:www.cbse.nic.in
- The optimum Section teacher ratio of 1:1.5 as well as student teacher ratio of 30:1 is to be maintained to teach various subjects and school shall appoint qualified and trained teaching staff on regular basis as per provisions of Affiliation Bye Laws of the Board.

 Every affiliated school shall sponsor regularly its bonafide and eligible students in Boards Class X and Class XII examinations from
- the year mentioned while granting affiliation/up-gradation regularly without break or inform with reasons thereof in writing well in time about the non-sponsoring of the candidates.
- Running of coaching institutions in the school premises in the pretext of providing coaching to the students for various examinations is not permitted by the Board. Strict action would be taken on defaulters.
- 16. The Manger and the Principal of the school shall be jointly responsible for the authenticity of the online/offline documents/ information/data submitted by the School to the Board.
- Apart from rules to be adhered to by the school as mentioned above for drawing specific attention of the school authorities, the school authorities are required to acquaint themselves with all the rules contained in Affiliation & Examination Bye-laws and circulars/guidelines/notification issued by the Board from time to time. Any laxity in following rules/instructions of the Board will lead to action against school as per clause 12 of Affiliation Bye-laws-2018.
- 18. The genuineness of information / documents / data submitted shall be of school and in case, if found otherwise the school shall invite action as per affiliation Bye laws-2018
- The school shall be responsible for submission of any pending compliance, reply of show case /legal notice/ complaint and for submission of date/information sought by the Board. The extension of 05 years shall be from the date of cessation of previous validity of extension of affiliation
- 20. The school is required to remit pending fee, if any
- The extension of affiliation is being granted as one time measure. However, the cases where the Show Cause Notice was communicated or grievance / legal cases are pending against the school, the Board will take appropriate decision in this matter
- The school shall renew all mandatory safety certificate i.e Safe Drinking Water & Health and Hygiene certificate. Fire Safety

This site is Designed and Developed by IT & Project Department CohE.

2020

- cbseaff.nic.in/cbse_aff/school/SchoolLettviw.aspx The school shall also maintain record of certificate, compliances, data and other records/information and shall be fully responsible to produce all such records before produce and shall be fully responsible to produce all such records before produce and shall be fully responsible to produce all such records before produce and shall be fully responsible to produce all such records before produce and shall be fully responsible to produce all such records before produce and shall be fully responsible to produce all such records before produce and shall be fully responsible to produce all such records before produce and shall be fully responsible to produce all such records before produce and shall be fully responsible to produce all such records before produce and shall be fully responsible to produce all such records before produce and shall be fully responsible to produce all such records before produce and shall be fully responsible to produce all such records before produce and shall be fully responsible to the produce all such records before produce and shall be fully responsible to the produce and shall be fully responsible to the produce and shall be fully responsible to the produce all such records before produce and shall be fully responsible to the produce and the pr 23. be taken as per Affiliation-Byo-Laws and appropriate Government Authorities when asked for, failing which necessary action shall be taken as per Affiliation-Byo-Laws and appropriate Government Authorities when asked for, failing which necessary action shall be taken as per Affiliation-Byo-Laws and appropriate Government Authorities when asked for, failing which necessary action shall be taken as per Affiliation-Byo-Laws and appropriate Government Authorities when asked for, failing which necessary action shall be taken as per Affiliation-Byo-Laws and appropriate Government Authorities when asked for a specific property of the prop be taken as per Affiliation-Bye-Laws of the Board. The school shall also be liable for action by the appropriate Govt., in case of violation / pon-compliance of the violation / non-compliance of the concerned Govt. norms
- The Board reserves the right to conduct inspection of school as per clause 11.2 and 11.4 of Affiliation Bye Laws. 24.

Deputy Secretary / Joint Secretary (Affiliation)

This is a computer-generated document. No signature is required.

Manager
St. Francis' Convent School

A - KA 282003

St. Francis Convent School

Ghatia / z m Khan,

नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक 133464

प्रारूप - 9 नियम 8 (2) देखिये

संख्या 5068

दिनांक 20-12-18





सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र (अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

जारी करने का दिनांक......06-12-2018

अस्ट सोसाइटी के रजिस्ट्रार श्रेउत्तर प्रदेश

Manager
St. Francis' Convent School
AGRA-282003

Principal
St. Francis Convent School
Ghatia / zam Khan,
AGRA-282003

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सो० फर्म एवं चिट्स-21-11-2014-(1374)-2,00,000 प्रतियां-(क0/टी०/आफरोट)।

43.40

भी अनुमेच गाँधनाः उप सम्बद्धाः उत्तरस्य क्रीक्षण स्थापनाः

har A

विश्वादाः अनुभागः वाकान्यकः विभावः १ अवस्तु १९९६ विश्वादाः- केन्द्र प्रवेशितः स्त्रुत्तः वानीस्त्रुतः सोद्धः आवरा सो सीद्योगस्ति स्थाद्योगः वानी के नर्व विकास केन्द्र सम्बद्धाराता वेतु अनापात्तः प्रमाणाः- पत्र दिये जाने के सीद्धाः में ।

महोदय,

उपर्यक्त विभावक पर क्षेत्र करने का निदेश हुआ है कि तैंट क्रांतिस स्कूल वजीकपुर रोड, आगरा को साठबाठनकार्क गई दिल्ली से सम्बद्धारता प्रदान किये जाने में इस राज्य तरकार को जिल्लीयिकात प्रांतकमधार्थ के उद्योग आपरिक नहीं है:-

- श्विद्यालय की वैजीकृत तीतवद्यी का सम्ब सन्य पर नवीनोकरणा कराया जायेगा ।
- 121 बिद्यालय की प्रकेश तिनति में बिर्मा निदेश के द्वारा नामित एक तदस्य तीया ।
 - अविद्यालय में कम ते कम दत प्रतिष्ठात तथाल अनुतृष्यित व्याति/ अनुतृष्यित व्यवाति के बच्चों के लिए तुरिक्षात रहेमें और उनते उत्तर प्रदेश मध्य किंव विषया परिशाद दशारा तैनानित विद्यालयों में विशिष्ण व्याओं के लिए निटार्गित शुल्क ते अध्यक शुल्क नहीं लिया वायेगा ।
- अप सीरका दूजरा राज्य तरकार से किसी उनुदान की ग्रीम नहीं की नायेगी और पाँड पूर्व में विद्यालय माध्यामन शिक्षा परिकाद है / बेरिक शिक्षा परिकाद है मान्यता प्राप्त है सक्षा विद्यालय की सम्बद्धातर केन्द्रीय माध्यामक विकास परिकाद/ वीतिन कार दि बेरियन रहन तटीकियेट इच्यामियान नई दिन्ती है प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिकादों से सम्बद्धाता प्राप्त होने की विद्या से परिकाद से मान्यता तथा राज्य तरकार है अनुदान स्थाः समाप्त हो वायेगी ।
- 151 सेल्या शोधिक स्थै विकाणीत्तर वर्ध्यारियों को राज्याय सहायता प्राप्त विकाण तेल्याओं के वर्ध्यारियों को अनुस्त्व वेत्यमानों तथा जन्य भारती है व्य वेतनमान तथा जन्य

भारते नहीं रिक्रे वार्षि ।

- कार्यास्यों को तेना गाउँ धनायों नारेना और उन्हें तहायता प्राप्त 161 आरासकीय अध्यास मार्चामक विद्यालयों के कर्मा सियों की अनुभाष तेवा निश्वांता वा नावा उपनव्धा वराये वायेन ।
- 171 वी क्षेत्र राज्य हैं के इस कार कार महिला है के वार्षे तंत्रा उनका वाक्त ब्हेकी ।
- विदेशालय का रिकार्ड निरामिश्त ब्रुप्त/ विकारती में रक्षा वायेमा
- उना शालों में राज्य सरवार हे पूर्वानुमोक्ष है किना कोई परिवर्तन/ क्षेत्रीधान वा पारिवधान नहीं विवा वायेना ।
- उपत प्रकार-धार्म का पानन करना संस्था के नियं जानजार्य होना और यदि 2-किती तस्य यह पाया जाता है कि तैत्या द्वारा उन्त प्रतिष्टा वा पानन नहीं किया जा रहा है अधावा पालन बरने में किया पूजार को पूज था विराधानात बरती था रही है तो राज्य सरकार द्वारा पुटात अनापालि प्रमण- पन वापत में अवह जायेगा ।

+ Tactu

पूर्व ती । १२७७३।। /15-१-१५ तद्विता

प्रतिक्रिये निम्नक्षिति हो तुकार्य स्वे अध्यक कार्यवा से हेतू

distri-

ना प्राप्ति । व्यावन अव्यव विकास मैक्सिय उप किरता निदेश , विस्तवासी केंग, जानता

funt hautou forters, start t

निरीक्षक, अर्थित कारतीय विद्यालय उत्तर प्रक्रा, नजनक ।

प्रवेदाक, सेंट प्रवेशित स्कूल वजीस्पूर रोड, जानरा ।

mife afgite 9 34 मिला I

St. Francis Convent School Ghalla / zam Khan, AGRA-282003

gr. genne Manager St. Francis' Convent School AGRA-282003

प्रेषक.

सहायक अभियन्ता, ₄ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड—आगरा।

सेवा में.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा।

पंत्राक 336/ग्रा०अ०वि०/एन०बी०सी०-२००५/२०२०-२१ दिनांक- ७३.३ - >०२)

विषय:- प्राइमरी / जूनियर हाई स्कूल की मान्यता के संबंध में।

महोदय.

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक-7481-83 / 2020-21 / दिनांक-30.09.2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में क्रम संख्या-1 एवं 2 पर स्थित सेंट फ्रांसिस कॉन्वेन्ट स्कूल, घटिया आजम खॉ, वजीरपुरा, आगरा का एन०बी०सी०-2005 प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेष्ट्रित किया जा रहा है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड–आगरा

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार। प्रतिलिपि— प्रबन्धक सेन्ट फांसिस कॉन्वेन्ट स्कूल घटिया आजम खॉ आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

> सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड—आगरा

Manager
St. Francis' Convent School
AGRA-282003

Principal
St. Francis Convent School
Ghatia Azam Khan,
AGRA-282003

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा ।

पत्रांक/मान्यता/अंगमा०/प्राइमरी/ ५०५२५-३६ /२०२०-२१ दिनांक २७-०३-२००० सेवा में,

प्रबन्धक. सेंट फॉसिस कॉन्वेन्ट स्कूल, घटिया आजम खॉ, वजीरपुरा-आगरा ।

विषय :-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 कै प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम-15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए अंग्रेजी माध्यम का मान्यता प्रमाण पत्रं ।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 27.08.2020 के आवेदन-सेंट फॉसिंस कॉन्वेन्ट स्कूल, घटिया आजम खॉ, वजीपुरा—आगरा (विद्यालय का नाम, पते सहित) को दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए प्राइमरी स्तर कक्षा-01 से 05 तक के लिए अनंतिम (औपबन्धिक) मान्यतां प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन है :--

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-08 के पश्चात मान्यता / सबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2— विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (उपाबंध-1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा ।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।
- 4— पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
- 5- सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिट्रेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा ।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित स्निश्चित करेंगा-

1— प्रवेश बिए गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा। जायेगा। जायेगा।

3- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा। नहीं की जाएगी।

4— प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा ।

5— अधिनियम के उपबंध के अनसार निःशकाता प्रस्त / विशेष आवस्यकताओं वाले

6— अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हताएं नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हताएं अर्जित करेंगे।

7- अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करत है: और

अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापक कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेंगा

8- विद्यालय अधिनियम की घारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविघाएँ निम्नानुसार है:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल —6717.00 वर्ग मीटर कुल निर्मित क्षेत्र —4258.00 वर्ग मीटर कीडा—स्थल का क्षेत्रफल — हॉ कक्षाओं की संख्या —05 प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह भांडागार के लिए कक्ष—03 बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय—04—04 पेयजल सुविधा — हॉ, समर सेबिल द्वारा मिड—डे—मील पकाने के लिए रसोई— हॉ बाधारहित पहुंच — हॉ, डामर रोड

अध्यापक पठन सामग्री / कीड़ा खेलकूदउपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता—हों 9— विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी ।

10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11— विद्यालय को सोसाइटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रिजस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12- स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

विद्यालय के लेखों की किसी चार्टड आकाउण्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और ा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को मेजी

14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या (50425-36) है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें। 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और संमुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की किमयों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं ।

16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया,जाए। 17- प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलुब्ध होगा। प्रत्येक कक्षा-कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी । यदि कक्षा-कक्ष माप के अनुसार बच्चों का प्रवेश नहीं किया जाएगा अर्थात् अधिक बच्चे प्रवेश किए

जायेगें तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी।

18- विद्यालय / संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार यू-डायस+ से संबंधित सूचनायें / आकड़े भरना अनिवार्य होगा।

19- संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

(राजीव कुमार यादव) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा । क्र

पृ०सं० / मान्यता / अं०मा० / प्राइमरी /

/2020-21 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नॉकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-1-शिक्षा निदेशकं (बेसिक्), उ०प्र० निशातगंज-लखनऊ ।

2-सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।

3-अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), शिक्षा निदेशालय उ०प्र० प्रयागराज ।

4-मण्डलीय सहायक शिक्षां निदेशक(बेसिक), आगरा ।

5-जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा ।

6-संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, आगरा ।

7-कार्यालय गार्ड फाइल हेतु ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा ।

Manager . St. Francis' Convent School AGRA-282003

St. Francis Carvent School Ghatia fz m Khan, AGRA-282003

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा

पत्रांक / मान्यता / जू०हा०स्कूल अं०मा० / ५०२८३-६०

/ 2020-21 दिनांक 81/3/207

सेवा में.

प्रबन्धक, सेन्ट फॉसिंस कॉन्वेन्ट स्कूल, घटिया आजम खॉ, वजीरपुरा, आगरा।

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की घारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम-15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए अंग्रेजी माध्यम का मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 31.08.2020 के आवेदन—सेंट फॉिसंस कॉन्वेन्ट स्कूल, घंटिया आजम खॉ, वजीरपुरा, जनपद—आगरा (विद्यालय का नाम, पते सहित) को दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए जूनियर हाई स्कूल स्तर कक्षा—06 से 08 तक के लिए अनंतिम (औपबन्धिक) मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन है :-

- 1— मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और इसमें किसी भी रूप में कक्षा—8 के पश्चात मान्यता/सबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2— विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (उपाबंध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा ।
- 3— विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस—पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।
- 4— पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5— सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशंन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा ।
- 6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा । विद्यालयं निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगा—

W

1- प्रवेश दिए गर्य किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा। 2- किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया

3- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की

4- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा ।

5— अधिनियम के उपबंध के अनसार निःशक्तता प्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले.

6— अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हताएं नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हताएं अर्जित करेंगे।

7— अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्व्यों का पालन करत है: और

8- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापक कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे। 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन

8— विद्यालय अधिनियम की घारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा, । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार है:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-6717.00 वर्ग मीटर कुल निर्मित क्षेत्र -4258.00 वर्ग मीटर

कीडा-स्थल का क्षेत्रफल –हॉ कक्षाओं की संख्या–04

प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह भांडागार के लिए कक्ष-03

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-03-03 .

पेयजल सुविधा – हॉ, समर सेबिल द्वारा

मिड-डे-मील पकाने/के लिए रसोई- हॉ

बाधारहित पहुंच – हॉ, डामर रोड

अध्यापक पठन सामग्री /कीड़ा खेलकूदउपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता-हों के 9—विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई. गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी ।

W. 3

10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11— विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का .21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12- स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाम के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

W

13- विद्यालय के लेखों की किसी चार्टड आकाउण्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या (50753-60) है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।

15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और संमुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की किमयों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं । 16- स्रोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17- प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होगा। प्रत्येक कक्षा-कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी। यदि कक्षा-कक्ष माप के अनुसार बच्चों का प्रवेश नहीं किया जाएगा अर्थात् अधिक बच्चे प्रवेश किए जायेगें तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी।

18- संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

(राजीव कुमार यादव) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

पृ०सं० / मान्यता / जू०हा०स्कूल अं०मा० / / 2020-21 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नॉकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

n-शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्रo निशातगंज-लखनऊ ।

2-सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज ।

3-अपर शिक्षा निदेशक(बेसिकं), शिक्षा निदेशालय उ०प्र० प्रयागराज ।

4-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), आगरा ।

5-जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा ।

6-संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, आगरा ।

7-कार्यालय गार्ड फाइल हेतु।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

St. Francis' Convent School AGRA-282003

St. Francis Convent School Ghatia Azam Khan,

AGRA-282003

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सेंट फ्रांसिस कॉवेन्ट स्कूल घटिया आजम खां बजीरपुरा, आगरा का निरीक्षण आज विनांक—10.03.2021 को श्री संजीप कुमार वर्मा सहायक अभियन्ता द्वारा किया गया । भवन दो मंजिला निर्मित हैं तथा देखने में सुदृढ तथा सुरक्षित प्रतीत होता है एवं विद्यायल भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड—2005 के अनुरूप प्राविधान किये गये हैं।

> सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा

Manager +
St. Francis' Convent School
AGRA -282003

Principal

St. Francis C event School

Ghatia / z m Khan,

AGRA-282003

कार्यालय मुख्य अग्निशमन पत्रांकःसीएफओ—मिस० / 19(एनओसी प्रक्रिया) सेवा में

अधिकारी, आगरा। दिनाकःअप्रैल ९२ ,2019

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद—आगरा।

विषय:— जनहित याचिका संख्या—483 / 2004 अवनीश मेहरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक:12.04.2009 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक:15934-35/2018-19 दिनांक:21.02.2019

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो निम्न विद्यालयों के प्रबन्धकों द्वारा प्राइमरी/जूनियर हाई स्कूल मान्यताओं की पत्रावलियाँ मान्यता हेतु उपलब्ध करायी गयी है जिस पर मान्यता समिति द्वारा निर्णय लिये जाने हेतु फायर सर्विस की निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पत्र के क्रमांक नं0-07 पर अंकित सेन्ट फ्रांसिस कान्वेन्ट स्कूल, घटिया आजम खॉ, आगरा की एन०ओ०सी० यू०आई०डी० नं0-2018/47753/एजीए/आगरा/1418/जेडी दिनांक:11.07.2018 द्वारा 03 वर्ष हेतु जारी की जा चुकी है संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

ज्यासम्बद्धाः अस्ति

St. Francis' Convent School

AGRA-282003

Principal
St. Francis Convent School
Ghatia Azam Khan,
AGRA-282003

कार्यालय मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम आगरा

संख्या:-147/0/4461/19

दिनांक:- ०४-2-19

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

क्षेत्रीय स्वच्छता एवं खाद्य निरीक्षक सेनेटरी वार्ड हरीपर्वत-1, नगर निगम आगरा की स्थलीय <u>निरीक्षण / रिपोर्ट</u> दिनांक 20.01.2019 के आधार पर सेंट फ्रांसिंस कान्वेंट स्कूल, घटिया आजम खाँ, आगरा में शौचाल्लय / स्कूल परिसर में सफाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल पायी गयी।

मुख्य बार्यस्तास्य काकाविकारी नारा काविया सर्वनामारा

8r. genna

St. Francis' Convent School
AGRA-282003

Principal

St. Francis Convent School

Ghatia Fzam Khan,

AGRA-282003

FEE SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2021 -2022 ST FRANCIS PRE PRIMARY SCHOOL, AGRA

Class	Particulars	April – June 2021	July – September 2021	October - December 2021	January – March 2022
LKG	Tuition Fee(Composite) Admission Fee	7920 30,000	6480	7200	7200
UKG	Tuition Fee(Composite)	7770	6630	7200	7200

FEE SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2021 -2022 ST FRANCIS CONVENT SCHOOL, AGRA

Class	Particulars	April – June 2021	July – September 2021	October - December 2021	January – March 2022
I	Tuition Fee(Composite)	13655	7395	8025	8025
II - V	Tuition Fee(Composite)	8655	7395	8025	8025
V I - VIII	Tuition Fee(Composite)	9225	7875	8550	8550

IX	Tuition Fee(Composite)	9990	8520	9255	9255
X	Tuition Fee(Composite)	9810	8370	9090	9090

Dear Parents,

You are requested to kindly pay the school Fee either monthly or quarterly, either online or by depositing cheque in favour of St. Francis Convent School, Agra (classes I - X), St. Francis Pre Primary School, Agra (classes L.K.G, U.K.G) in the federal bank or in the school.

- 1. For online payment, log on to <u>www.stfrancisagra.in</u> using your Login ID and Password or online fee payment. Once you login you will find parents area Fee Management Online fee Payment select student- select account type, ie, **school**(for classes 1 X) **primary school**(for LKG & UKG)then select **monthly** or **quarterly** for payment.
- 2. If you deposit in bank/ school, then write the student's name, class, father's name and mobile number at the back of the cheque. Thank you for your kind cooperation and support.

Principal